शहर में कांजी हाउस बनाने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो

फतेहपुर।

नगर पालिका परिषद शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके लिए अजगवां के पास कांजी हाउस बनाने के लिए जमीन का सीमांकन हो चुका है। खुला घूमने वाले प्रति पशु मालिक से न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है।

शहर में आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके बावजूद नगर पालिका चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है। शहरवासी आए दिन ऐसे पशुओं की शिकायत नगर पालिका में दर्ज करा रहे हैं, लेकिन आवारा पशु रखने के लिए कोई व्यवस्था न होने के कारण नगर पालिका शिकायतों का निस्तारण नहीं कर पा रही है।

शिकायतें बढ़ने पर नगर पालिका परिषद का ध्यान आवारा पशुओं की ओर केंद्रित हुआ है। ऐसे पशुओं को बंद करने के लिए नगर पालिका बहुत जल्द कांजी हाउस बनाने जा रही है। इसके लिए अजगवां के पास जमीन चिन्हित हो चुकी है। अधिशासी अधिकारी रश्मि भारती का कहना है कि शहर के हर मोहल्ले में सैकड़ों की संख्या में हर समय आवारा पशु घूमते हैं। यह गंदगी फैलाते हैं। इतना ही नहीं कभी-कभी तो घरों में घुसकर काफी नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे पशुओं पर शिकंजा कसने के लिए बहुत जल्द कांजी हाउस का निर्माण कराया जाएगा। बोर्ड के समक्ष ऐसे पशु पालकों पर कम से कम पांच सौ रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया जाएगा।